



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 16292 वर्ष 2025

कृष्ण चन्द्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार प्रजापति, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री अनिल कुमार प्रजापति, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, और श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर उपस्थित हैं, को सुना गया।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखा और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका नवीन अवस्था में ही निस्तारित की जा रही है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें वर्ष 2011 में बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि उन पर आरोपित कुछ कृत्यों और चूक के कारण, दिनांक 16.04.2025 को बाल विकास सेवा एवं पोषण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक ने रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के अंतर्गत विभागीय जांच आरंभ करने का आदेश पारित किया और रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 22.05.2025 को दो आरोपों सहित विभागीय आरोप पत्र सेवा किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने दिनांक 14.07.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, एक जांच अधिकारी ने कोई जांच किए बिना दिनांक 18.07.2025 को पत्र के माध्यम से जांच प्रतिवेदन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पोषण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तुत कर दिया। उक्त पत्र द्वारा दिनांक 06.08.2025 को प्रतिवेदन को वापस करते हुए नए सिरे से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार होना था। इसके उपरांत, दिनांक 12.08.2025 को जांच अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता/दोषी को दिनांक 14.08.2025 को उपस्थित होने के लिए कहा गया। रिट याचिकाकर्ता उक्त तिथि को उपस्थित हुए और अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि 14.08.2025 के बाद जांच अधिकारी द्वारा कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की गई। रिट याचिका के अनुच्छेद 12 में यह कहा गया है कि दिनांक 18.08.2025 को जांच अधिकारी ने विभागीय प्राधिकारी के समक्ष जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की। रिट याचिकाकर्ता आगे यह दावा करते हैं कि उन्हें उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदान नहीं की गई और वे प्रतिवेदन की विषयवस्तु से पूर्णतः अज्ञात हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जांच कार्यवाही को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तर्कसंगत समाप्ति नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने दिनांक 13.10.2025 को प्रतिनिवेदन प्रस्तुत किया। रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 16.04.2025 को निलंबित किया गया था।

4. रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने संबंधी दिनांक 16.04.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए, जो बाल विकास सेवा एवं पोषण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक, द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा पारित किया गया था, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई।

5. इस न्यायालय ने रिट याचिका को दिनांक 13.11.2025 को विचाराधीन रखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:

"1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 16.04.2025 को निलंबित किया गया और उसके पश्चात जांच प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. तथापि, दिनांक 06.08.2025 को आदेश पारित हुआ, जिसमें जांच अधिकारी को 1999 के नियम 7 के अनुसार नई जांच आयोजित करने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 12 में किए गए विवरणानुसार, जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.2025 को जांच प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को आगे निलंबित नहीं रखा जा सकता।

4. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने हेतु समय मांगा।

5. इस प्रकरण को दिनांक 03.12.2025 को नवीन स्थिति में विचारार्थ सूचीबद्ध किया जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके उपरांत, दिनांक 15.12.2025 को न्यायालय द्वारा प्रकरण पर निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"आदेश दिनांक 13.11.2025 पारित होने के पश्चात, निदेशक के हस्ताक्षर सहित निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिनमें यह दर्शाया गया कि दिनांक 18.08.2025 को दो आरोपों के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पहला आरोप सिद्ध नहीं पाया गया और दूसरा आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुआ। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि निर्देश प्रतिवेदन की प्रति संलग्न किए बिना प्रेषित किए गए।

इस प्रकरण को दिनांक 17.12.2025 को नवीन स्थिति में सूचीबद्ध किया जाए।

आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख में संलग्न किया गया और इसे परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया गया।"

7. अन्त में, दिनांक 14.01.2026 को न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:

"1. दिनांक 15.12.2025 के आदेश के पश्चात, अतिरिक्त निदेशक, वित्त के दिनांक 16.06.2025 के निर्देश प्राप्त हुए, जिनमें बताया गया कि जहाँ तक पहला आरोप है, वह सिद्ध नहीं हुआ और दूसरा आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुआ। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.08.2025 को विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

2. रिट याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अप्रैल, 2025 से निलंबित रखा गया है और यह प्रत्यर्थियों की निष्क्रियता के कारण है कि जांच कार्यवाही पूरी नहीं की जा रही।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस प्रकरण को दिनांक 16.01.2026 को दोपहर 2:00 बजे नवीन स्थिति में सूचीबद्ध किया जाए, तब तक जांच कार्यवाही की परिणति की सूचना दी जाएगी।

4. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख में संलग्न किया गया और इसे परिशिष्ट 'बी' के रूप में अंकित किया गया।"

रिट याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 16.04.2025 को द्वितीय प्रत्यर्थी, निदेशक - बाल विकास सेवा एवं पोषण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित आदेश किसी भी रूप में टिकाऊ नहीं है। उक्त दलील को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि निलंबन आदेश बिना किसी आधार के लंबित रखा गया है और रिट याचिकाकर्ता की इसमें कोई गलती नहीं है। याचिकाकर्ता को 16.04.2025 को निलंबित करते हुए जांच आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 22.05.2025 को आरोप-पत्र सेवा किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। तथापि, विभागीय प्राधिकारी ने अपने विवेकानुसार उक्त प्रतिवेदन वापस कर जांच अधिकारी को नई जांच करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात, दिनांक 14.08.2025 को याचिकाकर्ता उपस्थित हुए और अपना उत्तर प्रस्तुत किया। दिनांक 19.08.2025 को जांच प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ, परन्तु अब यह प्रतिवेदन निष्क्रिय स्थिति में रखा गया और याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से निलंबित रखा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रकार की विलंबकारी रणनीति नहीं अपनाई। इसके अतिरिक्त, अब याचिकाकर्ता को जांच के विषय में निर्देशों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें स्पष्ट किया गया कि पहला आरोप सिद्ध नहीं हुआ और दूसरा आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब जांच प्रतिवेदन विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, तो रिट याचिकाकर्ता का निलंबन लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखना और कारण बताओ नोटिस जारी न करना प्रत्यर्थियों की निष्क्रियता और उदासीनता का परिणाम है।

8. श्री एस.के. पाल, अधिवक्ता, अतिरिक्त मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.08.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पहला आरोप सिद्ध नहीं पाया गया और दूसरा आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। तथापि, जब अतिरिक्त मुख्य शासकीय अधिवक्ता से यह विशेष प्रश्न किया गया कि विभागीय प्राधिकारी जांच प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने से क्या रोकता है, तो उनके उत्तर में बताया गया कि एक पेन ड्राइव, जो किसी आपराधिक प्रकरण से संबंधित है, विज्ञानिक परीक्षण प्रयोगशाला को भेजी गई है और उसका परिणाम अभी लंबित है।

9. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

10. तथ्य विवादित नहीं हैं। इसमें विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 16.04.2025 को निलंबित किया गया और उसी दिन 1999 नियमावली के नियम 7 के तहत जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 22.05.2025 का आरोप-पत्र भी सेवा किया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विभागीय प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया और जांच कार्यवाही पुनः संचालित करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात, दिनांक 18.08.2025 को जांच अधिकारी द्वारा विभागीय प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पहला आरोप सिद्ध नहीं पाया गया और दूसरा आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। दिनांक 22.05.2025 के आरोप-पत्र में पहले आरोप के संबंध में अवैध प्रोत्साहन की मांग का आरोप लगाया गया था, परंतु जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2025 में इसे सिद्ध नहीं पाया। दूसरे आरोप में यह आरोप था कि रिट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता पदिक शक्ति का अनुचित लाभ उठाता और दुरुपयोग करता था, जिसे आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया।

11. न्यायालय के विचार में, किसी अधिकारी या कर्मचारी पर कोई दोष सिद्ध न होने पर उसके निलंबन को लंबित रखना स्वीकार्य या सराहनीय नहीं हो सकता। जब जांच कार्यवाही दिनांक 18.08.2025 को प्रस्तुत की गई, तब विभागीय प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह दोषी से उत्तर मांगने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करे और आदेश पारित करे। चूंकि यह कार्यवाही नहीं की गई और 19.08.2025 से आज तक जब आदेश पारित किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, तथा इसका एकमात्र कारण यह बताया गया कि आपराधिक प्रकरण में प्रकरणीय सामग्री संगणकीय संचिका है, जिसे न्याय-विज्ञान प्रयोगशाला से सत्यापन हेतु भेजा गया है। प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए तो, दिनांक 22.05.2025 के आरोप-पत्र के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के उपरांत रिट याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखना अनावश्यक प्रतीत नहीं होता।

12. उल्लेखनीय है कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास स्वीकार्य नहीं माने जा सकते। तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित प्रकार से निस्तारित की जाती है:

(क) दिनांक 16.04.2025 का वह आदेश, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, जो कि निर्देशक - बाल विकास सेवा एवं पोषण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया था, वह रद्द किया जाता है।

14. प्रतिवादियों को कारण बताओ सूचना निर्गत करने के लिए खुला छोड़ते हुए।

15. इस चरण पर, श्री एस.के. पाल, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि कारण बताओ सूचना दो सप्ताह की अवधि में जारी किया जाएगा, और यदि 14 दिनों के भीतर कारण बताओ सूचना निर्गत किया जाता है तो अंतिम आदेश शीघ्र पारित किए जाएंगे।

16. तदनुसार, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. निर्देशों को परिशिष्ट ए, बी और सी के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।